नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर

प्रारूप – 1
(नियम –4(1) देखिए)
अनुज्ञा और आंबटन के लिए आवेदन

नवीनतम
फोटो

प्रेषिती,

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास
सवाई माधोपुर

विषय :– गैर – कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और आबटंन के लिए आवेदन ।

श्रीमान,

मैं/ हम, गैर –कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूँ /करते है, जिसकी विशिष्टियॉ निम्नानुसार है–

1.	आवेदक के ब्यौरे (क) नाम (ख) पिता/ पति का नाम (ग) पूरा पता	
2.	क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया (क) ग्राम और तहसील का नाम (ख) खसरा सं. और क्षेत्र	
3.	आवेदन के साथ संलग्नक	
	(क) सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत /स्टाम्पित मुख्तारनामें की प्रमाणित प्रति , यदि आवेदन अन्य –व्यक्यिों की ओर से फाइल किया जाता है ।	
	(ख) रजिस्ट्रीकरण की प्रमाणित प्रति (फर्म / संस्था/कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)	
	(ग) संगम ज्ञापन / संगम /अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)	
	(घ) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)	
	(ड.) जहां कहीं अपेक्षित हो, भू– उपयोग में परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति।	
	(च) स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जैसे विक्रय विलेख इत्यादि और आवेदित भूमि के ब्यौरे।	

	(छ) प्ररूप –2 में नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रताणित शपथ पत्र	
	(ज) प्ररूप – 3 में नौटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक् क्षतिपूर्ति बंधपत्र	
	(झ) जमाबंदी की नवीनतम प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)	
	(ञ) अभिन्यास योजना और मास्टर योजना, सेक्टर योजना (यदि कोई हो) पर खसरा अध्यारोपण	
	(ट) खसरा मानचित्र का अनुलेख	
	(ठ) अभिन्यास योजना (एकल पट्टे की दशा में स्थल योजना)	
	(ड) की प्लान	
	(ढ) सर्वेक्षण नक्शा	
	(ण) प्ररूप –4 में क्षेत्र संगणना के ब्यौरे।	
	(त) खातेदार /आवेदक की पहचान का सबूत	
4.	प्रयोजन जिसके लिए भमि का उपयोग किया जायेगा।	
5.	क्या भूखण्ड सीमा में कोई एचटी/एलटी लाइन या ट्रान्सफार्मर है ।	
6.	क्या आवेदित भूमि अर्जन के अधीन है।	
7.	क्या आवेदित भूमि के संबध में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन कार्यवाहियां लम्बित है।	
8.	क्या भूमि अधिशेष घोषित की गयी है, या जिसके लिए राजस्थन कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 या राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 के निरसित अध्याय III ख के अधीन कार्यवाहियां लम्बित है।	
9.	क्या भूमि देवता, देवस्थान विभाग , कोई न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ से संबंधित है।	
10.	रेलवे लाइन , राष्ट्रीय राजमार्ग , राज्य राजमार्ग और अन्य किसी सडक से दूरी	
11.	(क) लम्बित न्यायालय मामले (यदि कोई हों)	
	(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे	
12.	आवेदित भूमि की पहुॅच सडक की चौडाई ।	
13.	मास्टर योजना / सेक्टर योजना/ सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के अधीन आने वाली भमि का क्षेत्र जो निःशुल्क अभ्यर्पित किया जाना हैं।	
14.	(प्ररूप –4 के अनुसार) शुद्ध क्षेत्र जिसके लिए अभिन्यास योजना जारी की जानी है।	
15.	संदेय प्रीमियम प्रभारों की दर	
16.	चालान की सं. और तारीख नियम 4 के उप–नियम (3) के अधीन संदाय करने के लिए रकम (चालान की प्रति संलग्न की जाये)	
17.	कोई अन्य सुसंगत सूचना	
18.	दस्तावेजों की कुल सख्या	
19.	पृष्ठों की कुल संख्या	
20.	मद सं. 3 और 16 में वर्णित संलग्नकों के साथ आवेदन की सॉफ्ट कॉपी	
21.	आवेदन की तारीख	

घोषणा

1. मैं/ हम, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ /करते है कि उपर्यक्त विशिष्टयां मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
2. यह घोषणा की जाती है कि शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और उक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ आवेदन . ..... प्रयोजन (गैर कृषि उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत है। मैं/ हम उक्त गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के लिए मेरे/ हमारे अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने का /के इच्छुक हूं / है । अतः मुझे / हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान करें।
3. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्यक्त भूमि जिसके लिए गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुज्ञा चाही गयी है, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयेाजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा राजस्थान और आबंटन) नियम , 2012 के नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक का पता

.....
.....
.....

संपर्क संख्याक
और ई–मेल पता

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम)

प्राप्ति

आवेदक ..... ने दिनांक ..... को आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक ..... को रजिस्टर में स. ..... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है। मामला लागू नियमें के अनुसार प्रक्रियागत और निपटाया जायेगा। बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेजों संबंधी जानकारी , यदि कोई हो 15 दिन के भीतर या तो दूरभाष पर सूचित की जायेगी या स्थानीय प्राधिकारी की वेब–साईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 2
(नियम –4(1) देखिए)
शपथ पत्र

नवीनतम
फोटो

मैं/ हम श्री .....पुत्र श्री ..... आयु .....

निवासी .....ग्राम ..... तहसील .....

जिला .....।

मैं/ हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूं/ लेते है और घोषणा करता हूं करते है :–

1. कि मैं निम्नानुसार रूप में विर्णत भूमि का / के खातेदार हूं/ है और आवेदन प्ररूप में गैर –कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग की अनुज्ञा देने के लिए आवेदित ऐसी भूमि के संबंध मं किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवत्त नहीं है और भूमि समस्त विल्लगंमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.स.	भूमि के ब्यौरे (ग्राम ओर खसरा स.)	क्षेत्र

2. कि मैं/हम , सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार और आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए अपने अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करवाने का/के इच्छुक हूं /हैं।
3. कि मै/ हम इसके द्वारा स्थनीय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्य और रकम का संदाय करने के लिए पाबंद रहूंगा/ रहेंगे।
4. कि भूखण्ड / भूमि या भवन का कोई विक्रय, स्थानीय प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदित भूमि की अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पूर्व नहीं किया जायेगा।
5. कि आवेदकों द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों और आदेशों का पालन किया जायेगा।
6. कि आवेदित भूमि केवल दी गयाी अनुज्ञा के अनुसार प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार और स्थानीय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार विकसित की जायेगी।
7. कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
8. कि मैं /हम, इसके द्वारा सुसंगत भवन उप–विधियों , विनियमों , स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नियमों के उपबन्धों का अनुसरण और पालन करूंगा/ करेंगें।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 7 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।अतः ईश्वर मेरी सहायता करें

मेरे द्वारा पहचान किया गया :–

अभिसाक्षी

प्ररूप – 3
(नियम –4(1) देखिए)
क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं/ हम श्री .....पुत्र श्री ..... आयु .....

निवासी .....ग्राम ..... तहसील .....

जिला .....।

नवीनतम फोटो

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूं/ लेते है और क्षतिपूर्ति करता / करती हूँ :–

1. मैं /हम इसके नीचे वर्णित भूमि, जिसके लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन गैर –कृषिक प्रयोजन के लिए अनुज्ञा/संपरिवर्तित भूमि के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का /के खातेदार हूं /है।

क्र.स.	भूमि के ब्यौरे (ग्राम ओर खसरा सं.)	क्षेत्र

2. कि मैं /हम, मामले में स्थनीय प्राधिकारी द्वारा मंजूर अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो , के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को पांबद करता हूं /हैं।
3. कि मैं /हम स्कीम के अनुमोदन के कारण मामले में पैदा हुए किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप ये कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं को पाबंद करता हूं / हैं।
4. कि स्थानीय प्राधिकारी को आवेदक की ओर से किसी शर्त , नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की स्कीम को निरस्त करने अनुज्ञा को प्रत्याह्वत करने का अधिकार रहेगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

प्ररूप – 4

(नियम –4(1)(vii) देखिए)

क्षेत्र संगणना रूपविधान

क. एकल पट्टा मामले

(क) कुल भूखण्ड क्षेत्र की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है

क्र.स.	विशिष्टियां	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	कुल क्षेत्र		
2.	सेक्टर सडक/मास्टर योजना सडक/राजमार्ग इत्यादि के अधीन क्षेत्र (आवेदक से अभ्यर्पण विलेख लिया जायेगा।		
3.	सेक्टर /मास्टर योजना का पांच प्रतिशत की दर से सुविधा क्षेत्र (यदि लागू हो) (आवेदक से अभ्यर्पण विलेख लिया जायेगा।		
	शुद्ध भूखण्ड क्षेत्र (1+2+3)		

ख. स्कीम भूखण्ड क्षेत्र के ब्यौरे

(ख) कुल भूखण्ड की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है

क्र.स.	विशिष्टियां	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	आवासिक /औद्योगिक /संस्थानिक /फार्म हाउस /रिसोर्ट या कोई अन्य विशेष टाउनशिप भूखण्ड क्षेत्र		
2.	वाणिज्यक क्षेत्र (अनौपचारिक सेक्टर)		
3.	वाणिज्यक क्षेत्र सामान्य		
4.	सेक्टर सडकों को सम्मिलित करते हुए सडक के अधीन क्षेत्र		
5.	पार्क /खुले स्थान/रोपण गलियारा		
6.	सुविधा के लिए आरक्षित क्षेत्र		
	कुल क्षेत्र		

ग. स्कीम के लिए भूखण्डों के ब्यौरे

क्र.स.	ब्लॉक सं.	भूखण्ड सं.	क्षेत्र वर्गमीटर में	क्षेत्र वर्गगज में
कुल				

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप–5

(नियम–5 देखिए)

नगरीय क्षेत्रों में गैर– कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए आवेदनों का रजिस्टर

क्र. स.	आवेदक और उसके माता पिता के नाम के साथ डाक का पता	आवेदन की प्राप्ति की तारीख	उस भूमि की विशिष्टियां जिसके लिए अनुज्ञा चाही गई है			गैर –कृषिक उपयोग जिसके लिए अनुज्ञा चाही गई है	आवेदन के साथ प्राप्त दस्तावेजों की विशिष्टियां	आवेदन के साथ निक्षिप्त रकम के ब्यौरे । चालान की तारीख और संख्या सहित
			गांव / तहसील का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

तारीख जिसको आवेदन की प्रति संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और तहसीलदार को भेजी गई	तारीख जिसको निम्नलिखित से रिपोर्ट प्राप्त हुई		अन्तिम आदेश की तारीख और क्या आवेदन स्वीकार किया गया या नामंजूर			आदेश सं. और तारीख जो स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में नामांतरण के लिए तहसील में भेजा गया	क्या तहसील से नामांतरित जमाबंदी की प्रति प्राप्त हुई	अभ्युक्तियां
	स्थानीय प्राधिकारी	तहसीलदार	तारीख	स्वीकृत	नामंजूर			
10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्ररूप–6

(नियम–6(1) देखिए)

(प्राधिकृत अधिकारी को तहसीलदार की सहमति /आक्षेप के लिए रूपविधान)

कार्यालय तहसीलदार .....

(तहसील और जिले का नाम)

सं.:..... दिनांक .....

प्रेषिती,

प्राधिकृत अधिकारी ,

.....

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90–क के अधीन गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा जारी किये जाने संबंधी .....

(आवेदक का नाम) के लिए सहमति रिपोर्ट ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....

महोदय,

नवीनतम राजस्व अभिलेख और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित सहमति, विषय–वस्तु में आपके द्वारा अग्रिम कार्यवाई के लिए अग्रेषित की जा रही है। विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :–

क्र.स.	विशिष्टियां	अभ्युक्तियां
1	ओवदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	राजस्व अभिलेख में आवेदक का पता	
4	भूमि के ब्यौरे (क) भूमि का क्षेत्र (ख) खसरा संख्या (ग) राजस्व ग्राम	
5	भूमि किसी निर्बंधित प्रवर्ग में नहीं है	
6	किसी सक्षम न्यायालय का कोई रोक आदेश /व्यादेश भूमि के संबंध में प्रवर्तन में नहीं है	
7	गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने की सिफारिश की जाती है।	

अतः आपसे अनुरोध है कि आप राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90–क के अधीन आदेश से कृपया सूचित करें ताकि भूमि का विहित कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में नामांतरण किया जा सके।

या

मामले में समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता की यह राय है कि गैर –कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की वांछित अनुज्ञा आवेदक को निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जानी चाहिए :–

1. .....
2. .....
3. .....

तहसीलदार के हस्ताक्षर

प्ररूप–7

(नियम 6(3) देखिए)

अभिन्यास योजना और संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा के लिए रूपविधान (जांच सूची)
(स्थानीय प्राधिकारी के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाये)

क्र.स.	विशिष्टियां	रिपोर्ट	हस्ताक्षर
1	2	3	4
क.	व.लि./क.लि. के स्तर पर परीक्षण और सत्यापन		
1.	आवेदक का नाम / पता	अभिलेख के अनुसार सही /गलत	
2.	आवेदन के प्राप्त होने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और पृष्ठों की कुल संख्या	आवेदन ..... तारीख को रजिस्ट्रीकरण सख्यांक ..... पर प्रस्तुत किया गया इसमें कुल पृष्ठ है	
3.	पी.ओ.ए./ कम्पनी/फर्म के मामले में, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों का ब्यौरा	आवेदक ने पृष्ठ /..... से पृष्ठ/..... पर रखे गये वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये है	
4.	तहसील /स्थानीय प्राधिकारी का नाम और कुल भूमि क्षेत्र	तहसील ..... ग्राम ..... खसरा सं..... क्षेत्र.....	
5.	आवेदन प्ररूप के साथ भूमि हक का दस्तावेज		
	i)पटवारी द्वारा प्रमाणित अंतिम जमाबंदी की प्रति	सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित प्रति पृष्ठ /..... से पृष्ठ /..... पर रखी है	
	ii) पटवारी द्वारा प्रमाणित खसरा अनुरेख नक्शा	प्रति पृष्ठ/..... से पृष्ठ/.....पर रखी गयी है	
	iii)की–प्लान(स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित)	प्रति पृष्ठ/..... से पृष्ठ/.....पर रखी गयी है	
	iv)सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ–पत्र	प्रति पृष्ठ/..... से पृष्ठ/.....पर रखी गयी है	
	v) सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	प्रति पृष्ठ/..... से पृष्ठ/.....पर रखी गयी है	
6.	अभिन्यास योजना इत्यादि के अनुमोदन के लिए स्थानीय प्राधिकारी को निक्षिप्त करायी गयी रकम के ब्यौरे (पूर्ववर्ती निक्षेपों, यदि कोई हों, के ब्यौरे को सम्मिलित करते हुए)	चालान सं..... तारीख..... रूपये ..... जिनकी प्रति पृष्ठ/..... पर रखी गई है	
7.	स्थल योजना या अभिन्यास योजना	हां/नहीं, यदि हां तो पृष्ठ /..... पर रखी गई है	
8.	स्थल आच्छादी संनिर्माण, यदि कोई हो, को नवीनतम फोटो	हां/ना, यदि हां तो पृष्ठ /..... पर रखी गई है	
9.	आवेदन प्ररूप सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है	हां / नहीं	
10.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए कोई अन्य दस्तावेज		

संबंधित सहायक के हस्ताक्षर

ख.	राजस्व, नगर आयोजना और अभियांत्रिकी विंग द्वारा परीक्षण		
11.	i) अर्जन के संबंध में भूमि की प्रास्थिति यदि कोई हो ii) न्यायालय प्रकरण का ब्यौरा, यदि कोई हो iii) कोई अन्य संप्रेक्षण या विवाद, यदि कोई हो		
12.	सेक्टर/मास्टर योजना /सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के साथ खसरा/स्थल योजना का अध्यारोपण जो आवेदित भूमि तक पहुंच सडक की स्पष्ट स्थिति दर्शित करता हो (जो भी लागू हो)	खसरा/स्थल योजना का अध्यारोपण (1) मास्टर प्लान में पृष्ठ/..... पर रखा गया । (2) सेक्टर प्लान में (यदि कोई हो) पृष्ठ /..... पर (3) सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना में पृष्ठ/..... पर (4) अभिन्यास योजना में पृष्ठ /..... पर	
13.	आवेदित भूमि (यदि कोई हो) से होकर जा रही गैस पाइप लाइन का ब्यौरा (यह क्षेत्र कुल आवंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि में लेण्ड स्केप विकास से भिन्न कोई संनिर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञेय नहीं होगा)	आवेदित भूमि पाईप लाईन से प्रभावित नहीं है, यदि हां तो .... वर्गमीटर गलियारा गैस पाइप के अधीन का क्षेत्र है, जिसका ब्यौरा पृष्ठ /..... पर रखा गया है	
14.	आवेदित भूमि से गुजर रही एच.टी./एल.टी. लाइन या आवेदित भूमि में लगे हुए ट्रांसफारमर का ब्यौरा (यह क्षेत्र कुल आबंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि में लेण्डस्केप या झाडी रोपण से भिन्न कोई संनिर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञेय नहीं होगा)	आवेदित भूमि एच.टी लाइन या ट्रांसफारमर, से प्रभावित नहीं है, यदि हां तो , एच.टी./एल.टी. लाइन/ट्रांसफारमर के अधीन का क्षेत्र ..... वर्गमीटर है, जिसका ब्यौरा पृष्ठ/..... पर रखा गया है	
15.	आवेदित भूमि को प्रभावित करने वाली रोपण गलियारा पट्टी का ब्यौरा (यि क्षेत्र कुल आवंटित क्षेत्र का भाग होगा किन्तु इस भूमि में लेण्डस्केप या झाडी रोपण या पार्किंग से भिन्न कोई संनिर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञेय नहीं होगा)	आवेदित भूमि रोपण गलियारा पट्टी से प्रभावित नहीं है/प्रभावित है,रोपण गलियारा पट्टी के अधीन ..... वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसका ब्यौरा पृष्ठ /..... पर रखा गया है	
16.	आवेदित भूमि का क्षेत्र सेक्टर/मास्टर योजना सड़क के अधीन आता है (यह क्षेत्र स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में निःशुल्क अभ्यर्पित होगा और कुल आंवटित क्षेत्र से कम कर दिया जायेगा। पूर्ववर्ती पट्टा विलेख/स्थल योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने की स्थिति में यह क्षेत्र नवीनतम सेक्टर या मास्टर योजना की अपेक्षा के अनुसार कम कर दिया जायेगा)	ब्यौरा पृष्ठ /..... पर रखे अनुसार है	
17.	आवेदित भूमि का क्षेत्र सुविधा के अधीन आता है (राज्य नीति, राज्य सरकार के आदेश /परिपत्र के उपबन्धों के अनुसार)	सुविधाओं के अधन का क्षेत्र उस भू–खण्ड क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा जारी किया जाये, का कुल 5 प्रति	

	(यह क्षेत्र स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में निःशुल्क अभ्यर्पित होगा और कुल आवंटित क्षेत्र से कम कर दिया जायेगा किन्तु ऐसे मामलों में , जिसका पट्टा विलेख राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 जारी किए जाने की तारीख से पहले निर्मुक्त कर दिया गया है, कम नहीं किया जायेगा।)	शत होगा सुविधाओं का ब्यौरा पृष्ठ /..... के अनुसार है	
18.	मार्गाधिकार और विद्यमान पहुंच सडक का ब्यौरा मानकों के अनुसार उसकी उपलब्धता के संबंध में टिप्पणी सहित	आवेदित भूमि से पहुंच सड़क का मार्गाधिकार ..... मीटर/फीट है, तो डब्ल्यू.बी. एम/बी.टी./सी.सी. सड़क हे या आवेदित भूमि किसी विद्यमान सड़क से जुडी हुई नहीं है किन्तु मास्टर/सेक्टर/सड़क क्षेत्र नेटवर्क योजना में योजनाबद्ध सड़क पर आती है। उपलब्ध /योजनाबद्ध पहुंच सड़क की चौडाई लागू न्यूनतम पहुंच मानकों के अनुसार है। ब्यौरा पृष्ठ/..... पर रखा गया है	
19.	क्या आवेदित भूमि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित क्षेत्र के अध्यधीन है	नहीं/ यदि हां तो ब्यौरा पृष्ठ/.... ..... पर रखा गया है	
20.	भूमि का प्रयोजन मास्टर योजना के अनुसार	भूमि का प्रयोजन मास्टर योजना के अनुसार है/अनुसार नहीं है, यदि है तो ..... प्रयोजन के लिए यदि नही तो रिपोर्ट पृष्ठ/.... ..... पर रखी गई है।	
21.	स्थल रिपोर्ट का ब्यौरा (क) खुली भूमि का प्रतिशत (ख) खेती के अधीन भूमि का प्रतिशत (ग) भूमि, पर संनिर्माण , का प्रतिशत (घ) क्या कोई सीमा दीवाल या भूमि का सीमाकंन विद्यमान है और स्थल पर उचित है (ड़) एच.टी./एल.टी.लाइन/ट्रान्सफारमर, यदि कोई हो, की स्थिति (च) प्राकृतिक नाला, जलमग्नता/तालाब/नदी इत्यादि, यदि कोई हो, के बहाव क्षेत्र की स्थिति (छ) निर्बन्धित क्षेत्र/असुरक्षित क्षेत्र का कोई अन्य ब्यौरा, (नियम–3 देखिए)		
22.	आवेदित भूमि के निकट किसी परियोजना स्थल चाहे विद्यमान हो या अनुमोदित का ब्यौरा, प्रस्तावित /विद्यमान सड़क नेटवर्क की , बरा बर लगी हुई स्कीम के साथ संबद्धता सहित ब्यौरा		
23.	आवेदित भूमि अनुमोदन के लिए पात्र है (आन्तरिक और बाहरी तकनीकी परिमापों के बाबत्)		
24.	स्थल से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरें (क) (ख) (ग) या		

समस्त संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर

प्रारूप–8

(नियम 6(5) देखिए)

(प्राधिकृत अधिकारी को स्थानीय प्राधिकारी की सहमति/आक्षेप के लिए रूपविधान)

.....(स्थानीय प्राधिकारी का नाम) का कार्यालय

संख्या..... दिनांक .....

प्रेषिती,
प्राधिकृत अधिकारी
.....

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम –1956 की धारा 90–क के अधीन गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए आदेश जारी करने के संबंध में (आवेदक का नाम)..... के लिए सहमति रिपोर्ट

संदर्भ :– आपका पत्र सं. ..... दिनांक .....

महोदय,

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु के आधार पर स्थानीय प्राधिकारी की सहमति आपके स्तर पर आगामी कार्यवाई हेतु निम्नानुसार अग्रेषित की जा रही है :–

क्र.स.	विशिष्टियां	अभ्युक्ति
1	आवेदक और उसके माता पिता के नाम के साथ उसका पता	
2	भूमि के ब्यौरे	
	(1) भूमि का क्षेत्र (2) खसरा संख्या (3) ग्राम	
3	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी/अन्य सुसंगत नीतियों /नियमों (यदि लागू हो) के उपबंधों के अनुसार पात्रता	
4	वांछित भू–उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुसार है	
5	गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने की सिफारिश की जाती है	

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम –1956 की धारा 90–क के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के आदेश से सूचित करें ताकि आवेदक के आवेदन पर विहित कालावधि के भीतर भूमि के आवंटन और अभिन्यास योजना के अनुमोदन की कार्यवाई की जा सके।

अथवा

मामले में समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी का यह मत है कि भूमि का वांछित उपयोग अनुज्ञेय नहीं है और निम्नलिखित कारणों से आवेदक को गैर –कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए :–

1. .....
2. .....
3. .....

उप नगर नियोजक एवं
स्थानीय प्राधिकारी
नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर

प्ररूप–9

(नियम 6(6) देखिए)

धारा 90–क के अधीन मामले की संवीक्षा के लिए रूपविधान

(इसे संवीक्षा के दौरान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किया जाये)

क्र.स.	विशिष्टियां	रिपोर्ट	हस्ताक्षर
1	आवेदक का नाम	अभिलेख के अनुसार सही/गलत	
2	आवेदक का पता	अभिलेख के अनुसार सही/गलत	
3	आवेदन की प्राप्ति की तारीख और पृष्ठों की कुल संख्या.....	आवेदन ..... तारीख को प्रस्तुत किया गया और आवेदन के साथ पृष्ठों की कुल सं. ..... है।	
4	पी.ओ.ए./कम्पनी /फर्म की दशा में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के ब्यौरे	आवेदक ने पृ./.....से पृ./..... तक पर रखे गये वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये है।	
5	आवेदन प्ररूप के साथ राजस्व दस्तावेज		
	(1) पटवारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम जमाबंदी–प्रति	प्रति पृ./..... से पृ. ..... तक रखी है	
	(2) पटवारी द्वारा प्रमाणित खसरा अनुरेख नक्शा–प्रति	प्रति पृ./..... से पृ. ..... तक रखी है	
	(3) स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित की –योजना	प्रति पृ./..... से पृ. ..... तक रखी है	
	(4) सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथपत्र	प्रमाणित प्रति पृ./..... से पृ. ..... तक पर रखी है	
	(5) सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	प्रति पृ./..... से पृ. ..... तक पर रखी है	
6	भूमि के ब्यौरे	तहसील ..... ग्राम ..... खसरा सं..... क्षेत्र	
7	आवेदन के साथ प्राप्त अन्य दस्तावेजों के ब्यौरे		
8	नियम 4(2) के अधीन निक्षिप्त रकम के ब्यौरे	चलान सं..... तारीख ..... रू. ..... जिसकी प्रति पृ. ..... पर रखी है	
9	राज्य स्तरीय समाचार पत्र में लोक सूचना प्रकाशित किये जाने के संदाय के ब्यौरे	चलान सं..... तारीख ..... रू..... जिसकी प्रति पृ. ..... पर रखी है	

प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप–10

(नियम 6(7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर

सं. ..... दिनांक .....

–::लोक सूचना::–

श्री /श्रीमती ..... पुत्र /पत्नी .....जाति ..... निवासी.....ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम,1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

इस प्ररूप की सॉफ्ट प्रति (सीडी) आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमांक :– दिनांक :–

1. श्रीमान तहसीलदार सवाई माधोपुर।
2. नोटिस बोर्ड नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर।
3. आवेदक श्री ..... को भेजकर लेख है कि स्थानीय समाचार पत्र के उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर एक प्रति कार्यालय में पेश करें।

प्राधिकारी अधिकारी

प्ररूप–11

(नियम 7(1) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी,सचिव, नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर

मामला सं. ---------- और वर्ष .....

1. ..... पुत्र श्री .....पता .....
.....

..... आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर –कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ।

आदेश

दिनांक .....

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का ..... प्रयोजन के लिए उपभोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और संलग्न दस्तावेजों /कथनों एवं संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को , राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का ..... प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. ..... माप ..... की ग्राम ..... तहसील ..... में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का ..... प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक /आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों

विनियमों या उप–विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को , जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् , स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को पारित किया गया ।

प्राधिकृत अधिकारी

सं. ..... दिनांक .....

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी ।

1. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर ।
2. तहसीलदार , ... तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री /श्रीमती ..... (खातेदार)

प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप –12

(नियम 13(1) देखिए)

सं. ..... दिनांक .....

सूचना

प्रेषिती,

श्री .....

.....

.....

विषय :– भूमि में के अधिकारों और हित के पर्यवसान की सूचना ।

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा सं. ..... क्षेत्र ..... ग्राम .....तहसील ..... जिला .....में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून, 1999 से पूर्व की कालावधि से गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/ किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में आपके अधिकार/हित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क की उपधारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जााने के दायी है।

अतः इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर–भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि में आपके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन ..... (वर्ष) के ..... (मास) के ..... दिन को जारी की जाती है।

दिनांक –

स्थान –

प्राधिकृत अधिकारी

(हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)

प्ररूप –13

(नियम 13(2) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, ...

सं. ..... दिनांक .....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा सं. ..... क्षेत्र ... . ग्राम.....तहसील.....जिला ....में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की कालावधि से गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है /किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार /हित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 –क की उप–धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है।

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर–भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि में आपके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन ..... (वर्ष) के ..... (मास) के ..... दिन को जारी की जाती है।

दिनांक –

स्थान –

प्राधिकृत अधिकारी

(हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)

कार्यालय नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर

प्रारूप–14

(नियम 16 (1) देखिए)

भूमि के आवंटन /नियमितीकरण के लिए आवेदन

आवेदक का
नवीनतम फोटो

प्रेषिती,

सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

.....

.....

1. (क)	आवेदक का नाम	
	माता/पिता का नाम	
	डाक का पता	
(ख)	यदि आवेदन अन्य की ओर से फाईल किया गया है तो मुख्तारनामें की प्रमाणित प्रति	
(ग)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संगम ज्ञापन/संगम अनुच्छेद और प्रधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक कम्पनी है)	
(घ)	रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक फर्म/संस्था है))	
(ड़)	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम, 2010 (यदि लागू हो) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।)	
2.	आवेदित क्षेत्र का ब्यौरा :–	
(1)	ग्राम और तहसील का नाम	
(2)	खसरा सं. और क्षेत्र या भूमि के अन्य ब्यौरे	
3.	स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की उपलब्ध प्रमाणित प्रति और आवेदित भूमि के ब्यौरे	
(क)	प्रारूप–15 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ पत्र	
(ख)	प्रारूप–16 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित बंध पत्र	
(ग)	हक/पट्टे का सबूत	
(घ)	विक्रय विलेख/विक्रय करार/वसीयत/ मुख्तारनामे की प्रति	
(ड़)	अभिन्यास योजना	
(च)	यदि भूखण्ड की सीमा में कोई एचटी/एलटी	

	लाईन या ट्रांसफार्मर है।	
(छ)	यह सबूत कि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग 17 जून 1999 से पूर्व किया गया है।	
(ज)	आवेदक की पहचान का सबूत	
4.	नियमों के अधीन निक्षिप्त प्रीमियम की रकम और चालान सं. और तारीख	
5. (क)	लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हो)	
(ख)	किसी समक्ष न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या ब्यादेश के ब्यौरे	
6.	दस्तावेजों की कुल संख्या	
7.	पृष्ठो की कुल संख्या	
8.	आवेदन की तारीख	

आवेदक सम्यक रूप से अनुप्रमाणित शपथ पत्र सम्यक रूप से अनुप्रमाणित बंधपत्र और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ.....प्रयोजन (गैर कृषिक उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के नियमितीकरण के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

घोषणा

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का पता

.....

.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(.....)

जो लागू न हो उसे काट दें।

प्राप्ति

आवेदक.....ने दिनांक .....को आवेदन प्रस्तुत किया जो रजिस्टर में क्र.सं.....पर दिनांक.....को रजिस्ट्रीकृत किया गया। मामला लागू नियमों के अनुसार प्रक्रियागत और निपटाया जायेगा। बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, के संबंध में जानकारी 7 दिन के भीतर–भीतर या तो दूरभाष से दी जायेगी या स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप –15

(नियम –16(1) देखिए)

शपथ पत्र

आवेदक का नवीनतम फोटो

मैं/हम श्री ..... पुत्र श्री .....आयु .....
निवासी .....ग्राम .....
तहसील ..... जिला .....। मैं /हम , इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से शपथ लेता हूँ /लेते है और घोषणा करता हूँ / करते हैः–

1. यह कि मैं /हम निम्नानुसार वर्णित भूमि का /के स्वामी /कब्जा धारक हूँ /है और प्ररूप 14 में मेरे / हमारे पक्ष में आंवटन तथा पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदित भमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक आदेश / व्यादेश प्रवृत नहीं है ओर भूमि समस्त विल्लंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.स.	भूमि के ब्यौरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

2. यह कि मैं/हम स्थानीय प्राधिकारी को विघमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोघ्य और रकम का इसके द्वारा संदाय करने का पालन करूंगा/ करेंगे।
3. यह कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों और आदेशों का आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।
4. यह कि आवेदित भूमि दी गयी अनुज्ञा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ही उपयोग में ली जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी के विहित मानको के अनुसार और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार विकसित की जायेगी।
5. यह कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं प्रमाणित है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नही गया हैं ।

अभिसाक्षी

मैं, उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथ पत्र के पैरा सं. 1 से 5 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और उसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है । अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

मेरे द्वारा पहचान किया गया :– अभिसाक्षी

प्ररूप–16

(नियम –16(1) देखिए)

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

आवेदक का नवीनतम फोटो

मैं/हम श्री ..... पुत्र श्री .....आयु .....
निवासी .....ग्राम .....
. तहसील ..... जिला .....। मैं /हम , इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से शपथ लेता हूँ /लेते है और घोषणा करता हूँ / करते है :–

1. यह कि मै/हम निम्नानुसार वर्णित भूमि, प्ररूप 14 में भमि के आंवटन और मेरे /हमारे पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है का /के स्वामी हूँ/है।

क्र.स.	भूमि के ब्यौरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

2. यह कि मै/हम मामले में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि के आंवटन और पट्टा विलेख जारी करने के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो , के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए इसके द्वारा स्वयं पाबन्द करता हूँ /करते है।
3. यह कि मैं/हम स्कीम के अनुमोदन और भूमि के आंवटन के कारण मामले में उत्पन्न किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप के कारण कारित किसी हानि , यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी इसके द्वारा स्वयं को पाबन्द करता हूँ/ करते है।
4. यह कि स्थानीय प्राधिकारी को आवेदक की और से किसी शर्त , नियम या आदेश के भंग पर आंवटन को निरस्त करने और अभिन्यास योजना के अनुमोदन को प्रत्याहृत करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

प्ररूप–17

(नियम –17 देखिए)

गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के नियमितीकरण और संपरिवर्तित भूमि आबंटन हेतु आवेदनों का रजिस्टर

क्र.स.	आवेदक और उसके माता पिता का नाम तथा डाक का पता	आवेदन की प्राप्ति की तारीख	उस भूमि की विशिष्टियां जिसका नियमितीकरण आबंटन चाहा गया है		
			ग्राम / तहसील का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6

गैर कृषिक उपयोग जिसके लिए अनुज्ञा चाही गयी है	आवेदन के साथ प्राप्त दस्तावेजों की विशिष्टियां	अंतिम आदेश की तारीख और क्या आवेदन स्वीकार किया गया या नामंजूर			आदेश सं. और तारीख जो स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में नामांतरण के लिए तहसील को भेजा गया	क्या तहसील से नामांतरित जमाबंदी की प्रति प्राप्त हुई	अभ्युक्तियां
		तारीख	स्वीकृत	नामंजूर			
7	8	9	10	11	12	13	14

प्ररूप–18

(नियम –31 देखिए)

गैर –कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और भूमि के आबंटन के लिए आवेदनों का रजिस्टर

(इस रजिस्टर के ब्यौरे प्रत्येक पन्द्रह दिन में एक बार ऑन–लाईन स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे और स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाईट पर भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

नगर का नाम ..... जिला – सवाई माधोपुर

क्र. स.	आवेदक और उसके माता / पिता का नाम और डाक का पता	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख	नियम 6(1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय से आवेदन की प्रति की प्राप्ति की तारीख	उस भूमि की विशिष्टियां जिसके गैर–कृषिक उपयोग के लिए अनुज्ञा और आबंटन चाहा गया है			
				क्षेत्र (वर्गगज में)	खसरा सं.	राजस्व ग्राम का नाम	जोन सं.
1	2	3	4	5	6	7	8

आवेदन के साथ प्राप्त दस्तावेजों की विशिष्टियां	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की तारीख	क्या वांछित उपयोग अनुज्ञेय है	नियम 6(5) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजी गयी सहमति / आक्षेप रिपोर्ट की सं. और तारीख	अभिन्यास अनुमोदन के लिए कार्यसूची टिप्पण के तैयार करने और अनुमोदन की तारीख	समिति द्वारा अभिन्यास योजना के अनुमोदन की तारीख	अभिन्यास योजना समिति के कार्यवृत्त के जारी होने की तारीख	गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग की अनुज्ञा देने वाले प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की तारीख
9	10	11	12	13	14	15	16

स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में नामांतरण की तारीख	रकम के साथ मांग नोट (प्रीमियम + अन्य प्रभार) जारी करने की तारीख	रकम के निक्षेप की तारीख	अभिन्यास योजना जारी करने की तारीख	पट्टा विलेख जारी करने की तारीख	व्यक्ति का नाम जिसे पट्टा विलेख जारी किया गया है	अभ्युक्तियां
17	18	19	20	21	22	23

प्ररूप–19

(नियम –31 देखिए)

भूमि के नियमितीकरण के लिए आवेदकों का रजिस्टर

(इस रजिस्टर के ब्यौरे प्रत्येक पन्द्रह दिन में एक बार ऑन–लाईन स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे और स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाईट पर भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

नगर का नाम ..... जिला – सवाई माधोपुर

क्र.स.	भूमि पर अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की तारीख	स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में नामांतरण की तारीख	अभिन्यास अनुमोदन की तारीख	नियम 15(5) के अधीन भूमि के नियमितीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली लोक सूचना की तारीख	आवेदक और उसके माता–पिता का नाम और डाक का पता
1	2	3	4	5	6

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख	भूमि की विशिष्टियां जिसके लिए नियमितीकराण चाहा गया है				आवेदन के साथ प्राप्त दस्तावेजों की विशिष्टियां
	क्षेत्र (वर्गगज में)	खसरा सं. या भूखण्ड सं.	राजस्व ग्राम या कॉलोनी का नाम	जोन	
7	8	9	10	11	12

क्या वांछित उपयोग अनुज्ञेय है।	रकम के साथ मांग नोट (प्रीमियम+अन्य प्रभार) जारी करने की तारीख	रकम निक्षेप करने की तारीख	पट्टा विलेख जारी करने की तारीख	व्यक्ति का नाम जिसे पट्टा–विलेख जारी किया गया है।	अभ्युक्तियां
13	14	15	16	17	18